न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सागवाडा जिला डूँगरपुर

नाम पीठासीन अधिकारी – श्री मांगीलाल रेगर आर0ए0एस0 उपखण्ड अधिकारी सागवाडा

प्रकरण संख्या–211/2015(राजस्व वाद) दायर दिनांक– 14.9.2015

फैसल दिनांक–

अनवान

1– डायालाल पिता स्व.निर्भयरांमजी ब्राम्हण निवासी ओबरी

2– अरविन्दकुमार पिता स्व. निर्भयरामजी ब्राम्हण निवासी ओबरी

(वादीगण)

बनाम

1– श्रीमती संगीता पत्नि श्री घनश्याम सोनी निवासी ओबरी

2– भूमिधारी तहसीलदार सागवाडा

(प्रतिवादीगण)

वकील वादीगण–श्री मयंक दोसी

वकील प्रतिवादी – श्री सी.पी.गांधी

वाद बाबत बंटवारा एंव स्थाई निशेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 ,188,209 राज0टि0एक्ट

निर्णय

वाद वादीगण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादीगण के स्व. पिता श्री निर्भयराम पुत्र विश्वनाथ एवं प्रतिवादी संख्या 1 के संयुक्त स्वामित्व एवं कब्जेदारी की मौजा ओबरी की खसरा नम्बर 828 की रकबा 18 बिस्वा कृषि भूमि स्थित है जिसमें स्व. निर्भयरामजी का 1/4 व प्रतिवादी संख्या 1 का 3/4 हिस्सा है । निर्भयरामजी की मृत्यु हो चुकी है लेकिन उनके वारिसान उनके पुत्र वादीगण ही है एंव राजस्व रेकार्ड में अभी नाम प्रतिवादी संख्या 1 के साथ सहखातेदार के रूप में निर्भयरामजी का ही चला आ रहा है । यह कि खसरा नम्बर 828 की रकबा 18 बिस्वा भूमि में वादीगण का 1/4 हिस्सा है लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 वादीगण को उनके हिस्से की आराजी पर जाने में रूकावट कर रही है ,बिना बंटवारा के नाजायज तरीके से जबरन प्रतिवादी संख्या 1 परकोटे का व दुकानो का निर्माण शुरू कर वादीगण को उक्त आराजी से बेदखल करना चाहती है जिससे वादीगण

उक्त आराजीयात का खाता प्रतिवादी संख्या 1 के साथ शिरकती नही चला सकते हैं ।प्रतिवादी संख्या 1 द्धारा जबरन नीवें खुदवाना शुरू कर दिया है जिससे उसे स्थाई निषेधाज्ञा से रोका जाना आवश्यक है । यह कि वादीग्रण उक्त खाता प्रतिवादी संख्या 1 के साथ संयुक्त रूप से चलने पर अपने हिस्से की जमीन पर कोई विकास कार्य नही कर सकते हैं जिससे उपरोक्त आराजीयात का बंटवारा कर खाता अलग करना आवश्यक है ।

अतः वादीगण द्धारा वाद के अन्त में मोजो ओबरी के खसरा नम्बर 828रकबा 18बिस्वा भूमिका वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 में बंटवारा कर उक्त आराजी के 1/4 हिस्से को प्रतिवादी संख्या 1 से अलग कर राजस्व रेर्काड में वादीगण का खाता प्रथक से दर्ज करने तथा किसी प्रकार से परकोटें,दुकानों आदि का निर्माण नही किया जावे इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने निवेदन किया गया है ।

वादीगण की ओर से वाद पुष्टि में शपथ पत्र पेश करते हुए वाद पत्र के साथ नकल जमाबन्दी , नकल खसरा गिरदावरी एवं नक्शा ट्रैस की नकल प्रस्तुत की गई है ।

वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जवाब प्रस्तुत करने सम्मन जारी किए गए ।

प्रतिवादी संख्या 1 को पर्याप्त अवसर प्रदान किए जाने के उपरान्त भी जवाब प्रस्तुत नही करने से दिनांक 20.4.2016 को जवाब बन्द किया जाकर साक्ष्य वादी प्रारम्भ की गई। इस दौरान प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से एक तरफा कार्यवाही को दो तरफा की जाकर जवाब प्रस्तुत करने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया । प्रार्थना पत्र की नकल वकील वादी को दी गई वकील वादी द्धारा प्रार्थना पत्र पर अनापत्ति करने से प्रतिवादी संख्या 1 को जवाब प्रस्तुत करने अवसर प्रदान किया गया । प्रतिवादी संख्या 1की ओर से दिनांक 7.12.2016 को जवाब मय प्रतिदावा के प्रस्तुत किया । प्रति वकील वादी को दी जाकर जवाबबूल जवाब प्रस्तुत करने अवसर दिया गया । दिनांक 19.2.2018 को वकील वादी द्धारा जवाबूल जवाब प्रस्तुत किया जिसकी नकल वकील प्रतिवादी को दिलाई जाकर पत्रावली पर तनकीयात कायम किए जाने आदेश दिए गए ।

इस स्टेज पर राज्य सरकार के आदेशानुसार न्याय आपके द्धार शिविर का आयोजन किया जाने से पत्रावली दिनांक 8.5.2018 को शिविर केम्प ग्राम पंचायत ओबरी पर पेश हुई ।

बमुकाम केम्प ओबरी पर प्रतिवादिया द्धारा प्रारम्भिक डिक्री जारी किए जाने के लिए नाएतराज करने से प्रारम्भिक डिक्री जारी किए जाने के आदेश कर तहसीलदार को बंटवारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने लिखा गया ।

तहसीलदार सागवाडा के पत्र संख्या राजस्व/708 दिनांक 12.9.2018 के द्धारा बंटवारा रिपोर्ट निम्नानुसार प्रस्तुत की गई :–

क्र.सं0	खातेदार का नाम	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म	लगान
1	संगीता पत्नी घनश्याम सोनी सा.देह खातेदार	828/1	0.13बिस्वा	म.बीड	0.01
2	डायालाल,अरविन्द ,लीला ,शीला पिता निर्भयराम ब्रा.हिब सा.देह खातेदार	828/2	0.05बिस्वा	म.बीड	0.01

उपरोक्तानुसार प्राप्त बंटवारा रिपोर्ट के क्रम में पक्षकारान वकील को सुना गया । पक्षकारान अभिभाषकगण द्धारा उक्त प्राप्त बंटवारा रिपोर्ट से कोई आपत्ति नही होना बताते हुए अन्तिम डिक्री जारी किए जाने एंव तदनुसार प्रथक प्रथक खाता दर्ज करने सहमति प्रदान की गई।

अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर अन्तिम डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार सागवाडा को आदेश दिया जाता है कि मोजा ओबरी के खसरा नम्बर 828 रकबा 0.18 बिस्वा का पक्षकारान के मध्य संलग्न बंटवारा रिपोर्ट परिशिष्ठ (अ)के अनुसार बंटवारा किया जाकर तदनुसार खाता प्रथक से दर्ज किया जावे ।प्रतिवादी के विरूद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि खसरा नम्बर 828 में वादीगण के हिस्से की भूमि पर वादीगण के उपयोग उपभोग में किसी

उपखण्ड अधिकारी
सागवाड़ा

प्रकार की रूकावट नही करें । बंटवारा रिपोर्ट परिशिष्ठ (अ) निर्णय एंव डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा । खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करे।

(मांगीलाल रेगर)
उपखण्ड अधिकारी
सागवाडा

उपखण्ड अधिकारी
सागवाडा

डिगरी व मुकद्में इब्तदाई

(आ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम सागवाडा

बईजलास श्री मांगीलाल रेगर आर०ए०एस० उपखण्ड अधिकारी सागवाडा

डायालाल पिता स्व.निर्मयराम ब्राम्हणवगैरा ओबरी बनाम संगीता पत्नि श्री घनश्याम सोनी वगैरा ओबरी

वाद बाबत बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत आरटीए 53,188,209

मुकदमा नंबर 211/2018

यह मुकदमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रूबरू श्री मांगीलाल रेगर आर०ए०एस० मिनजजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर अन्तिम डिकी जारी की जाकर तहसीलदार सागवाडा को आदेश दिया जाता है कि मोजा ओबरी के खसरा नम्बर 828 रकबा 0.18 बिस्वा का पक्षकारान के मध्य संलग्न बंटवारा रिपोर्ट परिशिष्ठ (अ)के अनुसार बंटवारा किया जाकर तदनुसार खाता प्रथक से दर्ज किया जावे ।प्रतिवादी के विरूद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि खसरा नम्बर 828 में वादीगण के हिस्से की भूमि पर वादीगण के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की रूकावट नही करें । बंटवारा रिपोर्ट परिशिष्ठ (अ) निर्णय एंव डिकी का अभिन्न अंग रहेगा । नीज............................मुबलिग........................ बाबत ....

खर्चा इस मुकद्में के मय सूद व शहर ....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक .... का अदा करें ।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 15 मास 5 सन् 2019 को जारी की गई ।

(मांगीलाल रेगर)

उपखण्ड अधिकारी

सागवाड़ा

मुद्धई	रूपया	पै0	मुद्धायला	रूपया	पै0
स्टाम्प अरजी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अरजी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत ईजराय हुक्मनामा			बाबत ईजराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

उपखण्ड अधिकारी
सागवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
सागवाड़ा

कार्यालय पटवार हल्का - ओबरी , भू. अ. नि. वृत - ओबरी
तहसील - सागवाड़ा , जिला - डूंगरपुर

परिशिष्ट (अ)

बंटवारा रिपोर्ट

महोदयजी, निवेदन इस प्रकार है कि श्रीमान कार्यालय उपखण्ड अधिकारी महोदय सागवाड़ा के आ.क्र. राजस्व/2018/55 दि. 8/5/18 कि पालना मे न्यायालय के प्र.क्र. 211/2015 मे वादी श्री डायालाल वगैरा एवं प्रतिवादी श्रीमती संगीता के मौजा ओबरी के खाता ज. 781, किता 1, रकबा 0-18 बीघा भूमि कि बंटवारा रिपोर्ट निम्नानुसार है।

क्र.स.	खातेदार का नाम	ख.न.	रकबा	किस्म	लगान	वि.वि.
1.	संगीता पत्नी घनश्याम मीनी जा. देह खातेदार	828/1	0-13	म.बीड	0.01	
	योग	01	0-13			
2.	डायालाल अरविन्द लीला शीला पि. निर्भयराम ब्रा. हि. ब. जा. देह खातेदार	828/2	0-05	म.बीड	0.01	डायालाल
	योग	01	0-05			

अतः उपरोक्तानुसार रिपोर्ट श्रीमान कि सेवा मे नियमानुसार कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

प. ओबरी

तहसीलदार
सागवाड़ा, जिला डूंगरपुर (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
सागवाड़ा

कार्यालय मौजा पटवार ओबरी ओबरी, भू. अ. नि. वृत्त ...
तहसील आसपुर, जिला डूंगरपुर
प. ह. - ओबरी

नक्शा बंटवारा रिपोर्ट

महोदयजी, निवेदन इस प्रकार है कि श्रीमान ... उपखण्ड अधिकारी महोदय सागवाड़ा के आदेश राजस्व ... दि. 8/5/18 ... पालना में न्यायालय के प्र.सं. 21/... वादी श्री डायालाल वगैरा एव प्रतिवादी श्रीमती ... के मौजा ओबरी के खाता ... ... किता 1, ... 0-18 बीघा ... बंटवारा रिपोर्ट निम्नानुसार ...

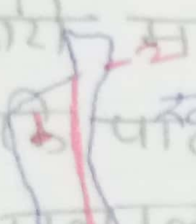

अमल हेतु प्रस्तावित करवाइना ... ... पेश किया।

अमल कार्य हेतु ...

खातेदार का नाम	ख. नं.	रकबा	...
संगीता पत्नी घनश्याम	828	0-13	म. बीड 0.0...
सोनी ...			
खातेदार डायालाल			
योग		0-18	
डायालाल अरविन्द	828	0-05	म. बीड 0.0...

तहसीलदार, ... डूंगरपुर (राज.)

उपखण्ड अधिकारी, सागवाड़ा